राचिका रा0–07/बजट–46–41/2021 – 365(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–22/10/2026

विषयः– **परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ध्याकरण हेतु Family Planning Indemnity Scheme के तहत लाभुक के मृत्यु/विफलता/जटिलता एवं चिकित्सक/स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देविका विश्वास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (95/2012) के मध्य दायर याचिका के न्यायादेश के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राज्य योजना मद के अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंध से प्राप्त राशि से वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की बकाया राशि रू० 23,15,000/–(रूपये तेईस लाख पन्द्रह हजार) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के RoP में अनुमोदित बकाया राशि रू० 28,57,500/–(रूपये अठाईस लाख सन्तावन हजार पॉच सौ) मात्र अर्थात कुल राशि रू० 51,72,500/–(रूपये ईक्यावन लाख बहत्तर हजार पॉच सौ) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रशासनिक एवं व्यय निमित स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे देविका विश्वास बनाम यूनियन ऑफ मध्य दायर याचिका 95/2012 के निर्णय के दौरान प्रेषित Directives कडिका–7 मे दिये गये निदेश के आलोक मे गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से Family Planning Indemnity Scheme के अतर्गत बध्याकरण हेतु क्षतिपूर्ति हेतु प्रदान की जाने वाली राशि को राज्य सरकार स्तर से दोगुना करने हेतु अनुशसित है। तद्क्रम मे सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, MoHFW, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्राक–N.11017/C/1/2012-FP.II (Part.II), दिनाक–21 01 2019 के द्वारा निदेशित राज्य सरकार के स्तर से क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान की जाने वाली राशि यथा वितीय वर्ष 2023–24 एव 2024–25 की बकाया राशि रू० 23,15,000/–(रूपये तेईस लाख पन्द्रह हजार) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के RoP मे अनुमोदित एव बकाया राशि रू० 28,57,500/–(रूपये अठाईस लाख सन्तावन हजार पॉच सौ) मात्र अर्थात कुल राशि रू० 51,72,500/–(रूपये ईक्यावन लाख बहत्तर हजार पॉच सौ) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से व्यय की जानी है।

2– ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के योजनान्तर्गत लोक कल्याणकारी राज्य के रूप मे गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से Family Planning Indemnity Scheme के अतर्गत बन्ध्याकरण हेतु लाभुक के मृत्यु/विफलता/जटिलता एव चिकित्सक/स्वास्थ्य सस्थानो से सबधित क्षतिपूर्ति दावो के भुगतान के क्षतिपूर्ति सबधी वित्त विभाग, बिहार, पटना के परामर्शानुसार राज्य स्कीम–राज्याश मद के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विपत्र कोड–20–2211–00–001–0104 के अतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है। तद्क्रम मे परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ध्याकरण हेतु Family Planning Indemnity Scheme के तहत लाभुक के मृत्यु/विफलता/जटिलता एव चिकित्सक/स्वास्थ्य सस्थानो से सबधित क्षतिपूर्ति दावो के भुगतान सबधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देविका विश्वास बनाम यूनियन ऑफ इडिया (95/2012) के मध्य दायर याचिका के न्यायादेश के आलोक मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे राज्य योजना मद के अधीन वितीय वर्ष 2026–27 मे बजट उपबध से प्राप्त राशि से वित्तीय वर्ष 2023–24 एव 2024–25 की बकाया राशि रू० 23,15,000/–(रूपये तेईस लाख पन्द्रह हजार) मात्र तथा वितीय वर्ष 2025–26 के RoP मे अनुमोदित बकाया राशि रू० 28,57,500/–(रूपये अठाईस लाख सन्तावन हजार पॉच सौ) मात्र अर्थात कुल राशि रू० 51,72,500/–(रूपये ईक्यावन लाख बहत्तर हजार पॉच सौ) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रशासनिक एव व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके व्यय सबधी मासिक अनुश्रवण राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जाएगी।

3-- राज्य योजना मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026--27 मे अधोलिखित उपशीर्ष अतर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा--

(i) माग सख्या--20 के मुख्य शीर्ष- 2211--परिवार कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-- 00, लघु शीर्ष--001--निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-- 0104-- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मे मानव ससाधन, **विपत्र कोड--20.2211.00.001 0104, विषय शीर्ष--37--01**--अनुग्रह अनुदान मद मे बजट उपबध मे प्राप्त राशि से रु० 51,72,500/- (रूपये ईक्यावन लाख बहत्तर हजार पॉच सौ) मात्र विकलनीय होगी।

4-- इस राशि की निकासी अवर सचिव--सह--निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना होगे एव नियत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना होगे।

5-- निकासी एव व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म सख्या--46 मे कर खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की पी0एल0 खाता-- PBBPLA011 एव विपत्र कोड--00--8448001200027 -0001 के अन्तर्गत Ledger ID--------- मे जमा कर राशि का खर्च विधियत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय एव मासिक अनुश्रवण करते रहेगे।

6-- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र स0--8244, दिनाक--02 08 2010 की कडिका--2(ख) के आलोक मे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम--341 के अनुरूप अकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

7-- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र स0 -2561/वि0(2) दिनाक--17 04 1998, 2419/वि0(2) दिनाक--05 04 2007, 8593/वि0(2) दिनाक--27 11 2007, 96/वि0(2) दिनाक--03 01 2008, 3923/ वि0(2) दिनाक--09 04 2010, 12888/वि0, दिनाक--03 12 2024 एव अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

8-- विषयगत योजना दिनाक--28 09 2026 को आयोजित विभागीय स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही का पत्राक--342(7ए), दिनाक--28 09 2026 तथा दिनाक -07 10 2026 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिग समिति की बैठक की कार्यवाही का पत्राक--1112/लो0वि0/यो0वि0, दिनाक--07 10 2026 के द्वारा अनुशसित है।

9-- प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या--07/बजट--46--41/2021 के पृष्ठ--118 /टि0 पर प्राप्त है ।

10-- प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11-- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

12-- राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13-- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-- 07/बजट--46--41/2021 - 365 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक--21/10/2026

प्रतिलिपि-- सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त,/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी -सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/अवर सचिव--सह--निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि--सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली--110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि--माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा--7 एव आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।